डॉ एन.के.यादव का लगातार तीसरी बार एमएलसी बनने पर बंटी मिठाइयां

भागलपुर (आससे)। तिलकामांझी चौक पर कोसी स्नातक क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार डॉ एन.के.यादव का लगातार तीसरी बार (हैट्रिक) निर्वाचित होने की खुशी पर तिलकामांझी नगर मंडल अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में जनता जनार्दन एवं कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई वितरण कर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा ने कहा कि मृदुभाषी डॉ एन.के.यादव गरीबों के बीच काम करने वाले और शिक्षा के मुद्दों को विधान परिषद में लगातार उठाते रहे हैं। आज उनकी मेहनत और उनके सादगी की जीत हुई है। लगातार एनडीए सरकार के अच्छे कार्य करने का ये इनाम है। मौके पर भागलपुर जिला प्रवक्ता इंदु भूषण झा ने बताया कि यह उपलब्धि उनके प्रति मतदाताओं के विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी



सम्मानित मतदाताओं समर्पित कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का हृदय से आभार एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉ एन.के.यादव अपने अनुभव,समर्पण एवं जन सेवा की भावना से कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षणिक विकास और स्नातक समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथ ही कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ एन.के. यादव को पुन: तीसरी बार विजयी घोषित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह,विवेकानंद प्रसाद उर्फबबलू यादव,दीपक मिश्रा,प्रेमजी सोनू, प्रकाश चौधरी,चुनचुन चौधरी समेत दर्जनों कार्यकर्ता बंधुगण मौजूद रहे।

जिला नियोजनालय सेा 425 से भी अधिक युवाओं का हुआ चयन

बांका (आससे)। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय, बांका द्वारा नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम अंतर्गत माह अक्टूबर में कार्यालय परिसर एवं विभिन्न प्रखंडों (रजौन, अमरपुर, बौंसी, फुल्लीडुमर, कटोरिया) में कुल-08 एक दिवसीय नियोजन शिविर एवं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना अतंर्गत इंटर्नशिप कैंप का आयोजन किया गया। उक्त नियोजन शिविरों में एम आर एफ टायर्स, भारत फिनांस, एडिको इंडिया आदि जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इन जाब कैंप में 10+2, आई टि आई, डिप्लोमा, पास लगभग 425 से अधिक रोजगार इच्छुक युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया जिसमें 133 अभ्यर्थियों का औपबंधिक चयन हुआ।

एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरुकता शिविर आयोजित

जमुई (आससे)। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार श्रम अधीक्षक कार्यालय, जमुई ने संयुक्त श्रम भवन, सोनपे, जमुई के सभागार में चार नई श्रम संहिताओं पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता शिविर का आयोजन किया। गया। डीएम श्री नवीन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज करते हुए कहा कि संबोधित करते हुए कहा कि बदलते आर्थिक एवं औद्योगिक परिवेश के अनुरूप श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है।

उन्होंने श्रम कानूनों के व्यापक प्रचार और श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान चार श्रम संहिताओं यथा वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता,



व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता तथा औद्योगिक संबंध संहिता के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा नियोक्ता-श्रमिक संबंधों को बेहतर बनाने और औद्योगिक विवादों के समाधान आदि विषयों की जानकारी दी गई। मुंगेर प्रमंडल के सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि समेत कई अधिकारी और नियोजक मौके पर उपस्थित थे। शिविर के माध्यम से संबंधित हितधारकों को श्रम संहिताओं के प्रावधानों से अवगत कराते हुए श्रमिक कल्याण एवं कानूनों के प्रभावी अनुपालन के प्रति जागरूक किया गया।

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जागरुकता कार्यक्रम

हवेली खड़गपुर (आससे)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश पर बुधवार को प्रखंड के उच्च विद्यालय बैजलपुर, राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें



बच्चो को पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रति जागरूक किया गया साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और यौन अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बाल विवाह पर रोक और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मेरा बचपन, मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बचाओ, सुरक्षित बचपन, बाल विवाह, बाल शोषण और जागरूक बचपन, सशक्त भारत जैसे विषयों पर बच्चों को जागरूक किया गया। इस मौके पर पीओएल शिवशंकर बनर्जी, पीएलभी राकेश कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज कुमार आदि समेत शिक्षक, शिक्षिका मौजूद थे।

स्कूलों में 'मेरा बचपन, मेरा अधिकार' पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम

बांका(आससे)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के तत्वावधान में बांका जिले के विभिन्न विद्यालयों में 'मेरा बचपन, मेरा अधिकार' (माई चाइल्डहुड, माई राइट्स) थीम के तहत वृहद विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उनके मौलिक अधिकारों, बाल सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) तथा उपलब्ध विधिक उपायों के प्रति जागरूक करना था। एस.के.पी. स्कूल (एसकेपी स्कूल), बांका में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रणव कुमार द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को बाल अधिकारों तथा बाल संरक्षण कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, नालसा की योजनाओं



(नालसा स्कीम), टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा एनसीपीसीआर के पॉक्सो ई-बॉक्स (पॉक्सो इ-बाक्स) के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता सुबोध मोदी, अभय प्रसाद तिवारी, सीडब्ल्यूसी (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यगण विवेकानंद सिंह एवं राजीव कुमार, राहुल रंजन एवं स्कूल के प्रधानाध्यापक बंजुल कुमार पाण्डेय सहित विद्यालय के शिक्षक और छात्र-छात्राएं मुख्य रूप से मौजूद थे। अभियान के तहत एस.के.पी. स्कूल बांका, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल चांदन, हरिहर चौधरी हाई स्कूल बाराहाट, सूर्य नारायण सिंह हाई स्कूल मोहनपुर, नव प्राथमिक विद्यालय सुग्गीवरण चांदन, मिडिल स्कूल लटवा बेलहर, प्रोन्नत मध्य विद्यालय लहरनियाँ ,चान्दन, द ग्रेट लर्निंग स्कूल चलना धोरैया, राजकीय उच्च विद्यालय रजौन, प्राथमिक विद्यालय सलैया तथा आदर्श बालिका उच्च विद्यालय अमरपुर ,उत्क्रमित मध्य विद्यालय ब्रहमपुर,बौंसी, गाँधी नवल उच्च विद्यालय पिपरा भगवतचक, शम्भुगंज में पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरा लीगल वॉलिंटियर्स (पएलवि) द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इन सभी विद्यालयों में लीगल टीम द्वारा छात्र-छात्राओं को बाल शोषण से बचाव, कानूनी अधिकारों और आपातकालीन स्थिति में प्राधिकरण द्वारा मिलने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से समझाया गया।

सिंधुवारिणी जलाशय योजना को लेकर कार्य के लिए पानी छोड़े जाने से मनी नदी उफान पर

काजवे पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी, आवागमन बंद

हवेली खड़गपुर (आससे)। सिंधुवारिणी जलाशय योजना को लेकर कार्य के लिए हवेली खड़गपुर झील और सिंधुवारिणी जलाशय से पानी छोड़े जाने से मनी नदी उफान आ गया। अचानक मनी नदी में तेज बहाव और उफान देख लोग हैरान हो गए। अचानक मनी नदी में बहाव की वजह से सद्भावना घाट स्थित काजवे पुलिया पानी में डूब गया।

पानी के तेज बहाव में काजवे के ऊपर से पानी गुजरने लगा। स्थिति ऐसी है कि पिछले दिनों आई भारी बारिश के बाद मनी नदी में आई उफान से नदी का जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखी गई। सुरक्षा घेरा पूरी तरह डूबा रहा और दोनों ओर की सड़क का हिस्सा भी नदी के पानी में डूबा रहा। जिससे आलम यह रहा कि मुरली मनोहर ठाकुरबाड़ी से नंदलाल बोस चौक के बीच वाहनों के साथ लोगों का आवागमन बंद रहा। ऐसे में लोग घुमावदार रास्ते के सहारे आवाजाही करते रहे।

इस बाबत सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि सिंधुवारिणी जलाशय योजना के कार्य को लेकर जलाशय में जमा पानी को छोड़ा गया है। पानी भरा होने से सिंधुवारिणी में कार्य को अब गति मिलेगी।

सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को बाल संरक्षण कानूनों के प्रति किया जागरूक

जमुई (आससे)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय सुधीर कुमार सिन्हा ने जमुई प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय गरसंडा में अखिल भारतीय सुरक्षित बचपन अभियान कार्यक्रम के जरिए पढ़नहारों से सीधा संवाद कर उन्हें यौन अपराधों से संरक्षण, उनके अधिकार और नि:शुल्क कानूनी सहायता की विस्तार से जानकारी दी ।शिक्षक-शिक्षिका और बड़ी संख्या में बेटियां मौके पर उपस्थित थीं। एडीजे द्वितीय ने बच्चों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान और प्रभाव, बाल अधिकार, बच्चों की सुरक्षा तथा बाल शोषण की रोकथाम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को मेरा बचपन-मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन, बाल विवाह नहीं, बाल शोषण नहीं तथा जागरूक बचपन, सशक्त भारत जैसे महत्वपूर्ण विषयों को परिभाषित किया और बच्चों को इसके बारे में यथोचित जानकारी दी। सुधीर कुमार सिन्हा ने बच्चों से लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान और महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को लैंगिक शोषण, दुर्व्यवहार तथा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षित रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, किसी भी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने तथा ऐसी घटना होने पर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन संख्या 15100 तथा बाल हेल्पलाइन संख्या 1098 के बारे में बताया और इसका सही समय पर इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रेरित किया। एडीजे द्वितीय ने गुड टच और बैड टच को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे बचने के लिए आपको सजग और सचेत रहना होगा। अमर्यादित व्यवहार के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। न्याय और संरक्षण के लिए आपको भयमुक्त होकर अपनी बात रखनी होगी। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, कानूनी संरक्षण तथा बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना था। विद्यालय के कई शिक्षक और बच्चों ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर सुरक्षित बचपन अभियान को वर्त्तमान युग के लिए अत्यंत लाभकारी करार दिया।



मुंगेर में क्रेडिट कैंप का हुआ सफल आयोजन

मुंगेर (आससे)। मुंगेर जिले में वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार, कृषि विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेगा क्रेडिट कैंप का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणिकर द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न सरकारी एवं निजी बैंकों द्वारा अक्टूबर माह के दौरान विभिन्न सरकारी एवं बैंक प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लगभग 100 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण किया गया। इस पहल से जिले में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।

मेगा क्रेडिट कैंप के दौरान स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, रिटेल ऋण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कृषि एवं कृषि संबद्ध गतिविधियों सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान लाभार्थियों के बीच ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, एसडीसी बैंकिंग सुश्री प्रिया कुमारी, अग्रणी जिला प्रबंधक राजीव कुमार तथा डीडीएम, नाबार्ड सुजीत कुमार सहित जिले के विभिन्न बैंकों के प्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के समग्र आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने, स्वरोजगार के अवसर सृजित करने, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय प्रगति की जा सकती है। उन्होंने सभी बैंकों, सरकारी विभागों एवं संबंधित संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिले के ऋण-जमा (क्रेडिट-डिपॉजिट) अनुपात में सुधार लाने के लिए सामूहिक एवं प्रभावी प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने पात्र आवेदकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने तथा ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने, किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन जिले में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

अग्निशमन विभाग ने पटाखा दुकानों का किया निरीक्षण

हवेली खड़गपुर (आससे)। दीपावली को लेकर अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटाखों से होने वाली संभावित खतरे को देखते हुए बुधवार को बिहार अग्निशमन सेवा की टीम ने नगर क्षेत्र में पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। जिला अग्निशमन पदाधिकारी मधु रॉय के निर्देश पर प्रभारी अनुमंडल



अग्निशमालय पदाधिकारी राजबल्लभ प्रसाद यादव के नेतृत्व में विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पटाखा बेचने वाले कुल पांच दुकानदारों को चिह्नित किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने ऐसे सभी दुकानदारों को अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही दुकानों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरण रखने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही पटाखों की बिक्री करने को निर्देश दिया। विभाग की ओर से दुकानदारों को विशेष दिशा-निर्देश देते हुए बताया गया कि पटाखों की बिक्री के दौरान अग्नि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रूप से रखें।

आंगनबाड़ी नवनिर्माण में बच्चों को मिल रहा आकर्षक व शिक्षण-अनुकूल वातावरण

पीरपैंती/भागलपुर (आससे)। जिले में संचालित कायाकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं बच्चों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत बारा पंचायत के ग्राम नयाटोला स्थित मनरेगा योजनान्तर्गत नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-185 को आकर्षक एवं बाल-अनुकूल स्वरूप प्रदान किया गया है। नवनिर्मित केंद्र का भवन आकर्षक रंगों एवं शैक्षणिक चित्रों से सुसज्जित है। केंद्र की बाहरी दीवारों पर रंगीन चित्रांकन के माध्यम से बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। आंतरिक कक्षों में हिंदी वर्णमाला,अक्षर ज्ञान,संख्याओं,विभिन्न पशु-पक्षियों,फलों तथा दैनिक जीवन से संबंधित शैक्षणिक चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इससे बच्चों को खेल-खेल में सीखने तथा अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने का अवसर मिलेगा। केंद्र का सुव्यवस्थित भवन,आकर्षक दीवारें एवं शिक्षण-अनुकूल वातावरण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे केंद्र बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकसित



करने, नियमित उपस्थिति बढ़ाने तथा उनके मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कायाकल्प अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों की आधारभूत संरचना में सुधार लाकर उन्हें अधिक उपयोगी, आकर्षक एवं जनोपयोगी बनाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों का इस प्रकार विकास बच्चों के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। जिला प्रशासन द्वारा जिले में आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं जनोपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है,ताकि योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग
कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–02, पटना का कार्यालय

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–35 वर्ष 2026–27

(विशेष शर्त्त मद एवं मात्रा के लिए वेबसाईट State.bihar.gov.in/prdbihar देखें)

समुचित श्रेणी मे निबंधित संवेदको/ख्याति प्राप्त फर्मों/कम्पनियों से दिनांक **04.11.2026** के अपराह्न 3.00 बजे तक निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबंद कोटेशन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना का कार्यालय एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा और उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न मे कोटेशनदात्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।

कोटेशन का मूल्य (रुपये में) – प्रत्येक कार्य क्रमांक के कोटेशन–पत्र के साथ कोटेशन मूल्य ONLINE GOVERNMENT REVENUE AND ACCOUNTING SYSTEM (O-GRAS) के माध्यम से (कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल संख्या–02, पटना) के पदनाम से जमा करना अनिवार्य होगा, जो कोटेशन प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए। कोटेशन प्रकाशन के पूर्व के निर्गत ओ–ग्रास (O-GRAS) का कम्प्यूटराईज्ड प्राप्ति रसीद पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन मूल्य संवेदक के द्वारा कुल कोटेड राशि के अनुसार होगा, जो निम्न प्रकार है :– रू0 0 से रू0 50,000 तक– रू0 250/–, रू0 50,001 से रू0 2,50,000 तक– रू0 500/–, रू0 2,50,001 से रू0 5,00,000 तक– रू0 750/–, रू0 5,00,001 से रू0 10,00,000 तक– रू0 1,250/–, रू0 10,00,001 से रू0 15,00,000 तक– रू0 2,500/– कोटेशन कागजात के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

कार्य का विवरणी :–

Sl No.	Name of Work/Specifiation
01-	Supply of Different Material For 01 Anney Marg, Patna for the Year 2026-27.
02-	Supply of Miscellaneous Materials For 01 Anney Marg and CM Sectt., Patna for the Year 2026-27.

- कार्य समाप्ति की अवधि :– 15 दिन।
- सक्षम पदाधिकारी के निर्देशन में ही सामानों की आपूर्त्ति की जानी है तथा आपूर्त्तिकर्त्ता को आपूर्त्ति के पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी।
- विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यावधि में सम्पर्क करें।

1. विशेष सूचना के लिए सूचनापट्ट या वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/prdbihar देखें या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पर्क करें।

कार्यपालक अभियंता,
केन्द्रीय भवन प्रमण्डल संख्या– 02,
पटना।

PR- 014210 (B C D) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

गुजरात रवाना हुए हवेली खड़गपुर के युवा

हवेली खड़गपुर (आससे)। 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हवेली खड़गपुर के कई युवा बुधवार को रवाना हुए। हवेली खड़गपुर से लगभग दर्जन भर युवाओं को समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला था। जिनमें विशेष रूप से नगर के मारवाड़ी टोला निवासी गौरव कुमार उर्फ शुभम केसरी, सिंहपुर निवासी रविरंजन, मुलुकटांड निवासी नितेश मिश्रा और आईबी रोड निवासी सैलब झा को इस राष्ट्रीय आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला है। शुभम केशरी, नीतेश मिश्रा ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे के संदेश के साथ आयोजित समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी।

नारकोटिक्स समन्वय तंत्र ने की बैठक

जमुई (आससे)। जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने, नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने तथा आमजन को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से डीएम श्री नवीन और एसपी विश्वजीत दयाल की उपस्थिति में नारकोटिक्स समन्वय तंत्र बैठक आयोजित कर राज्य सरकार के 'नशामुक्त बिहार अभियान-2026' के उद्देश्यों के अनुरूप जिले में नशा विरोधी गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने, संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में प्रकोष्ठ में बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नशे के विरुद्ध कार्रवाई को केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे जनभागीदारी से जोड़कर व्यापक सामाजिक अभियान के रूप में संचालित करने की जरूरत है। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार एवं तस्करी पर प्रभावी निगरानी, संबंधित एजेंसियों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान तथा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर समन्वित कार्रवाई करने की जरूरतहै। नशामुक्त बिहार अभियान के तहत जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक जागरूकता संदेश पहुंचाने, युवाओं एवं विद्यार्थियों को अभियान से जोड़ने तथा पंचायत स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता रेखांकित किया। साथ ही नशे के दुष्परिणामों, इससे होने वाली शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक क्षति और नशामुक्त जीवन के महत्व के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया, ताकि समाज नशामुक्त बन सके। वहीं एसपी ने कहा कि नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, सतत निगरानी, विभागीय समन्वय और जन-जागरूकता एक-दूसरे के पूरक हैं। इन सभी प्रयासों को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाकर जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने तथा विशेषकर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने की दिशा में ठोस पहल किए जाने की जरूरत है। उन्होंने नशा को 'ना' कहने पर जोर दिया। एडीएम रविकांत सिन्हा, डीटीओ डॉ.सुनील कुमार, एसडीएम सौरव कुमार, साइबर डीएसपी अभिषेक कुमार आदि पदस्थ बैठक में उपस्थित थे।

बिहार सरकार

समाहरणालय, नवादा
(मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग)

अल्पकालीन आम नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पादवादों में राज्यसात किये गये निम्नलिखित वाहनों को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् आम नीलामी (Public Auction) क्रमशः दिनांक **13.11.2026, 20.11.2026, 26.11.2026** को समाहरणालय, नवादा में 11:00 बजे पूर्वाहन से की जायेगी। नीलामी योग्य वाहनों की सूची निम्नवत है :–

क्र. सं.	थाना का नाम	थाना काण्ड संख्या	वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या	निबंधन का वर्ष	इंजन संख्या	चेचिस संख्या	मूल्यांकित राशि	अग्रधन की राशि	वाहन की अवस्थिति	वाहन मालिक का विवरणी
01	गोविन्दपुर थाना	63/25	GLAMOUR MOTORCYCLE	DL4SCB/ 2380	1-Jun-12	JA06EJCG F16344	MBLJA06ACC GF162263	10000.00	1000.00	गोविन्दपुर थाना	मंजीत कुमार सिंह, पिता– शंभु नाथ सिंह, ग्राम–बी 3/163 ब्लॉक बी 3 विजय इनक्लेभ, थाना– नई दिल्ली, (दिल्ली)–110045

1.विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अधीक्षक मद्य निषेध, नवादा से सम्पर्क किया जा सकता है nawada.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

(कृते समाहर्त्ता, नवादा)
अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा।

PR- 014218 (EXCISE) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।